क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
भिवाडी ऑफिस :जी.ओ.–1, फेज –द्वितीय, रीको औधोगिक क्षेत्र, भिवाडी
Email-id : robhiwadi@gmail.com, Ph: 01493-221435

कमांकः–राप्रनिम / क्षे0का0 / भिवाडी / सामा–1012 / 319 दिनांकः 28/06/22

निविदा / बोली सूचना संख्या –04 / 2022–2023

क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भिवाडी द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 की शेष अवधि के लिये निम्न सेवा अनुबंध के आधार पर उपलब्ध करवाने हेतु पंजीकृत बोलीदाता / संवेदको / फर्मो से निम्नानुसार निविदायें आमंत्रित की जाती है:–

क्र. स.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित राशि [लाखो मे]	बोली प्रपत्र शुल्क	अमानत राशि	बोली प्रपत्र विक्रय की अन्तिम तिथि व समय	बोली प्रपत्र जमा की अन्तिम तिथि व समय	बोली प्रपत्र खोलने की तिथि व समय
1	वाहन चालक –1	1.00	200/–	2000/–	13.07.2022 दोपहर 02.00 बजें तक	14.07.2022 दोपहर 01.00 बजें	14.07.2022 दोपहर 2.00 बजें

निविदा प्रपत्र एंव अन्य शर्ते www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखी व डाउनलोड की जा सकती है। डाउनलोड प्रपत्र उपयोग में लेने पर निविदा प्रपत्र शुल्क राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक जो (Member Secretary, Rajasthan State Pollution Control Board) Payable at Bhiwadi के नाम से प्रस्तुत करना होगा। अमानत राशि 2000/– का डी.डी. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भिवाडी के नाम से निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। सील बंद लिफाफे पर ''वाहन चालक हेतु निविदा'' स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा। कार्यालय द्वारा निर्धारित तकनीकी व वित्तीय बोली हेतु प्रपत्र, पृथक–पृथक लिफाफे में प्रस्तुत करने पर ही निविदा मान्य होगी। उपापन समिति द्वारा बोली स्वीकार करने / रद्द करने का निर्णय अंतिम होगा।

PCB No. – PCB 2223A0024

(अमित शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

UBN No – PCB 2223SSOB00023

क्षेत्रीय अधिकारी,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
भिवाडी (अलवर)

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जी.ओ.–1, फेज – द्वितीय, रीको औधोगिक क्षेत्र, भिवाडी
Phone: 01493-221435 Website www.rpcb.nic.in

Rajasthan

Annexure-I

1. तकनीकी बोली प्रपत्र

(लिफाफा न. 01)
वाहन चालक कुल संख्या –01

1. संदर्भ : क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.म. भिवाडी की बोली सूचना संख्या – ....04...................... दिनांक ....
2. बोलीदाता /संवेदक का नाम :– ....
3. डाक का पता :– ....
....
4. फोन/मोबाईल नं. :– ....
5. ई–मेल :– ....
6. बैंक का नाम :– ....
आईएफएससी कोड :– ....
खाता संख्या :– ....
7. किसको सम्बोधित किया गया है। क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.म, भिवाडी
8. बोली शुल्क रूपये : (1) 200/– रू (दो सौ मात्र)
(2) जमा रसीद संख्या ....दिनांक............/
डीडी क्रमांक .... दिनांक ....राशि..............
9. बोली प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें स्वीकार हैं,तथा उन पर हस्ताक्षर कर दिये गये है।
10. वाहन चालक हेतु दरें प्राईस शिड्यूल में अंकित कर दी गई हैं।
11. अमानत राशि 2000/– का डी.डी. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भिवाडी के नाम से निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कर दिया गया है।
डी.डी. न0...................... दिनांक...................... बैंक का नाम..
12. संलग्न प्राईस शिड्यूल मे वर्णित दरे बोली स्वीकृति से दिनांक 31.03.2023 तक मान्य होगी इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढाया भी जा सकेंगा।
13. बोलीदाता/संवेदक द्वारा निम्नलिखित पंजीकरण का विवरण निर्धारित कॉलम्स में प्रस्तुत किया जावेगा तथा उक्त पंजीकरण प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रति बोली दस्तावेजो के साथ संलग्न करनी होगी:

क्र.सं.	विवरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970				
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4.	वस्तु एवं सेवाकर (GST)				

क्षेत्रीय अधिकारी,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
भिवाडी (अलवर)

5.	आयकर (पैन नम्बर)				
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				
7	ब्लैक लिस्टेड अथवा डिफॉल्टर नहीं होंने सम्बन्धी 50रू.के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र				
8	प्रमाणित बैंक खाता पासबुक/स्टेटमेन्ट की छायांप्रति				

14. बोलीदाता/संवेदक द्वारा गत वित्तीय वर्षो में किसी भी क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल/राजकीय उपक्रम /राजकीय कार्यालय में न्यूनतम 1 वाहन चालक एक ही समयावधि में कम से कम एक वर्ष निरन्तर सफलतापूर्वक उपलब्ध करवाये जाने का अनुभव होना आवश्यक है, जिसका निम्नलिखित विवरणानुसार निर्धारित कॉलम में अंकन कर संबंधित दस्तावेज की छायाप्रति पर स्वहस्ताक्षरित कर बोली दस्तावेजों के साथ आवश्यक रूप से लगाना होगाः—

क्र. सं.	विभाग/संस्थान का नाम	उपलब्ध कराये गये वाहन चालक का आदेश विवरण एवं संख्या	उपलब्ध करवाये वाहन चालक की समयावधि	संबंधित विभाग /संस्थान से जारी संतोषजनक सेवा का प्रमाण पत्र का अंकन

15. मै/हम क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भिवाडी द्वारा जारी की गई बोली/निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक.............. दिनांक .... में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न बोली दस्तावेजों में दी गई उक्त बोली आंमत्रण सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते है।

16. संवेदक /बोलीदाता द्वारा बोली दस्तावेजों से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न कर दिये गये है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील
नाम ....
मोबाईल न. —

क्षेत्रीय अधिकारी,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
भिवाडी (अलवर)

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थानराज्य प्रदूषणनियंत्रण मण्डल
जी.ओ.– I, फेज–द्वितीय, रीको औधोगिक क्षेत्र, भिवाडी
Email ID : robhiwadi@gmail.com. Ph- 01493-221435

Annexure-II

प्राईस–शिड्यूल
(वित्तीय बोली लिफाफा नं.2)

कार्य का नाम – वाहन चालक (कुल संख्या 1)

क्र. सं.	सेवा का नाम	श्रमिकों को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी। मय संख्या			सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर	EPF दर प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि (प्रतिमाह प्रति ईकाई रू)	कुल राशि रू
		श्रमिक की श्रेणी	न्यूनतम मजदूरी दर (प्रतिमाह प्रति ईकाई रू)	श्रमिकों की संख्या (प्रति ईकाई)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	वाहन चालक	कुशल	7176	1		13.00 (नियोक्ता)	3.25 (नियोक्ता)		

1. उपर्युक्त तालिका मे स्तम्भ संख्या 4, 5, 7 व 8 तक की पूर्तियां इस कार्यालय द्वारा की जाकर बोली दस्तावेजों में ही अंकित कर उपलब्ध कराई गई है तथा शेष स्तम्भ संख्या 6, 9 एवं 10 में ही बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टियां अंकित की जायेगी।

2. संवेदक/बोलीदाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवाकर (GST) राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी।

3. कॉलम सं0 09 में देय राशि न्यून्तम 1/– रूपये से कम नही भरी जावे। राशि शुन्य या ऋणात्मक या 1/– रूपये से कम अंकित होने पर निविदा को अस्वीकृत कर दिय जावेगा। राशि पूर्णाक में ही भरी जावे।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर
नाम –

क्षेत्रीय अधिकारी,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
भिवाड़ी (अलवर)

निविदादाता द्वारा धोषणा पत्र

मै/हम धोषणा करते हैं कि मैनै/हमने बोली की समस्त जानकारी/शर्तों का अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मै/हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि मै/हम उक्त कार्य हेतु रजिस्टर्ड है एंव वास्तव में बोली में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है। वाछिंत मशीन/उपकरण/प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध है तथा RTPP अधिनियम की धारा 46 एंव RTPP नियम के नियम 39 के अनुसार राज्य सरकार या इस उपापन संस्था से अपात्रता के लिये विवर्जित (debarred) नहीं हैं।
यदि यह धोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति या अन्य जमा राशि को पूर्ण रूप से समपहत कर लिया जाएगा तथा निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रदद कर दिया जाऐ।

निविदादाता के हस्ताक्षर एंव

मोहर

नाम

पूर्ण पता

मो.नम्बर

क्षेत्रीय अधिकारी,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
भिवाडी (अलवर)

General Trems& Conditions of Request for Quotation:-

कार्य का नाम – वाहन चालक **(कुल संख्या 1)**

Important Instructions :- The law relating to procurement " The rajasthan transparency in public procurement act, 2012" {hereinfafter called the act} and the rajasthan transparency in public procurement rules, 2013" {hereinfafter called the rules} under the said act have come into force which are available on the website of state public procurement portal http://sppp.raj.nic.in. Therfore, the bidders are advised to acquaint themselves will the provisions of the act and the rules before participating in the bidding process. If there is any discrepancy between the procision of the act and the reles and this bidding document, the provision of the act and the rules shall prevail

1. तकनीकी एवं वित्तीय बोलियो के लिफाफे एक बडे लिफाफे में बन्द कर लिफाफे पर" वाहन चालक हेतु निविदा " अंकित कर प्रस्तुत करने होंगे।
2. तकनीकी रूप से सफल बोलीदाताओं की ही वित्तीय बोली खोली जावेगी।
3. कार्य के समय लागू जी0एस0टी0 की दरे मान्य होगी।
4. बोलीयां उचित रूप से मोहर बंद लिफाफे में प्रेषित की जायेगी। तकनीकी बोली के लिफाफे में तकनीकी बोली प्रपत्र में वर्णित बिन्दु संख्या 13 में 1 से 8 तक के प्रमाण पत्र बैक खाता विवरण एवं , बोली प्रपत्र एंव शर्तें मय हस्ताक्षरित रखी जावेगी।

7 बोलीदाता को अपने बैंक खाते का विवरण मय बैंक का नाम ,ब्रांच का नाम, आईएफएससी कोड एंव बैंक खाता संख्या संलग्न करना होगा।

8 फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना को लिखित रूप से क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भिवाडी को अविलम्ब संसूचित किया जावेगा तथा इस परिवर्तन से संविदा/बोली के अधीन किसी भी दायित्व से पूर्ववर्ती फर्म एवं उसके पूववर्ती सदस्यों को मुक्त नहीं किया जावेगा।

9 संविदा के संबंध में नई फर्म को तब तक कोई नया/नये भागीदार स्वीकार नही किया जायेगा/किये जावेगां जब तक की वह/वे समस्त निबन्धों और शर्तों का पालन करने हेतु सहमत न हों और क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भिवाडी के समक्ष इस आशय का एक लिखित करार जमा न कर दें। अभिस्वीकृति हेतु सफल बोलीदाता की रसीद को या किसी भागीदार की रसीद को बाद में उपर्युक्तानुसार स्वीकृत किया जावेगा और उससे वे सभी आबद्ध होगें और वह संविदा के किसी प्रयोजन हेतु पर्याप्त उन्मोचन होगा।

10 बोली प्रपत्र स्याही से या टंकण से भरे जावेंगे। पैन्सिल से भरी किसी भी बोली पर विचार नही किया जावेगा। बोलीदाता प्रपत्र एवं शर्तों अथवा अन्य संबंधी दस्तावेजो के सभी पृष्ठों पर अपने हस्ताक्षर करेगा और मोहर अंकित करेगा, जो उसकी शर्तें स्वीकार करने का प्रमाण होगा।

11 दरे अंकों एवं शब्दों दोनों में अंकित की जावेगी। इनमें किसी भी प्रकार की त्रुटि या उपरिलेखन नही किया जावेगा। ऐसा कोई है तो बोलीदाता को इस पर अपने लघु हस्ताक्षर मय दिनांक करने होंगें अन्यथा बोली निरस्त कर दी जावेगी।

12 दरें बोली स्वीकृती की दिनांक से 31.03.2023 तक के लिए वैध एवं मान्य होगी। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढाया भी जा सकेगा।

13 राजस्थान लोक उपापन में पादर्शिता अधिनियम 2012, नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एंव इस संबंध में वित्त विभाग, राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना, प्रपत्र, गाईडलाईन आदेश, निर्देश आदि प्रभावी रहेगें।

14 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबंधित संवेदक/बोलीदाता का होगा।

15 राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक/बोलीदाता ही उक्त प्रकार की

क्षेत्रीय अधिकारी,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
भिवाडी (अलवर)

बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ प्रस्तुत की जायेगी।

16 संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। संबंधित संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि का विवरण आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत् संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।

17 श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक/बोलीदाता का होगा।

18 श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय–समय पर वृद्धि होने पर संवेदक/बोलीदाता को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

19 संवेदक/बोलीदाता को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक/बोलीदाता का अंशदान शामिल होगा। संवेदक/बोलीदाता द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक/बोलीदाता को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।

20 संवेदक/बोलीदाता द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display Boards लगाये जायेंगे, जिन पर संवदेक का नाम संविदा अवधि, कार्य की प्रगति श्रमिकों हेतु Helpling नम्बर एवं संवेदक/ बोलीदाता द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने संबंधी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।

21 राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।

22 संवेदक/बोलीदाता द्वारा श्रमिकां को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक/ बोलीदाता की ही होगी। संवेदक/बोलीदाता द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एंव सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्व के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।

23 श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों का पालना करने का दायित्व संवेदक/बोलीदाता का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा–निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति के उसके परिणामों/ दायित्वों के लिये संवेदक/बोलीदाता स्वयं उत्तरदायी होगा।

24 यदि संवेदक/बोलीदाता एंव कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रंबधकीय जिम्मेदारी संवेदक/बोलीदाता की होगी। इसके लिये क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भिवाडी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

25 नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने का औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 विहित प्रावधानों, के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुवाअजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।

26 कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध में/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने /ई.एस. आई. करवाने/सामूहिक दुर्घटना बीमा करने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा, इसके लिये इस कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

27 यदि संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत इस कार्यालय को प्राप्त होती है तो इसके संबंध में इस कार्यालय द्वारा श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित किया जायेगा और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक/बोलीदाता को Debar कराने की कार्यवाही की जायेगी।

28 यदि इस कार्यालय द्वारा कार्य की विशिष्ट प्रकृति के मद्देनज़र किसी निर्धारित प्रतिशत में कोई अतिरिक्त राशि मानव संसाधन हेतु स्वीकृत कराता है, तो उक्त अतिरिक्त राशि को न्यूनतम मजदूरी में सम्मिलित नहीं करते हुए, इसे

क्षेत्रीय अधिकारी,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
भिवाड़ी (अलवर)

पृथक से भुगतान हेतु अंकित किया जायेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी उपापन संस्था द्वारा अतिरिक्त राशि के रूप में न्यूनतम मजदूरी 10 प्रतिशत की सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर रखी है तो न्यूनतम मजदूरी के उपर 10 प्रतिशत का पृथक से भुगतान संवेदक को दिया जायेगा। उक्तानुसार विशिष्ट कार्य करने वाले संबंधित श्रमिक को 10 प्रतिशत (न्यूनतम मजदूरी का) अतिरिक्त भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक/बोलीदाता का होगा।

29 वाहन चालक की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है। किसी न्यूनतम संख्या की गांरटी नहीं दी जायेगी एंव उपाप्त संख्या में कमी यो उपाप्त नहीं करने की स्थिति में बोलीदाता किसी भी दावे या प्रतिकर का आधार नहीं होगा। वाहन चालक की संख्या वृद्धि होने पर अनुबंधित संवेदक/ बोलीदाता द्वारा बोली की शर्त, निबंधन एवं दर आदेशित समय एवं स्थान पर वाहन चालक उपलब्ध करवाना होगा।

30 खुली बोली में सफल बोलीदाताओं/संवेदकों से, दर संविदाओं के अन्तिम मूल्यांकन में उनकी स्थिति कार्मिक स्थिति के क्रम में अति महत्वपूर्ण प्रकृति/अपेक्षित संख्या में वाहन चालक उपलब्ध करवाना न्यूनतम बोलीदाता की क्षमता से परे होने पर, समानान्तर दर संविदा की जा सकती है।

31 अनुबंधित बोलीदाता/संवेदक द्वारा संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर वाहन चालक उपलब्ध कराने के लिए उनकी कीमत कोटकर्ता करता/कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन वाहन चालक, कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से स्वतः कम हो जायेगी और दर संविदा तद्नुसार संशोधित की जोयगी।

32 इस कार्यालय द्वारा विद्यमान दर संविदाएं उसी कीमत निबंधनों और शर्तों पर तीन मास से अनधिक कालावधि के लिए बढ़ाई जा सकेगी, यदि दर संविदा के अधीन वाहन चालक उपाप्त किये जाने या उसके घटकों की बाजार कीमते इस कालावधि के दौरान गिर न गयी हो।

33 बोली की विधि मान्यता बोली खुलने की तिथि से 90 दिन की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।

34 अमानत राशि 2000/— का डी.डी. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भिवाडी के नाम से निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कर दिया गया है।

35 बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य ऐजेन्सी के लिए नहीं सौपेगा या भाड़े (Sub-Let) पर नहीं देगा।

36 मूल्यांकन की कसौटी—बोली (Request for Quotation) में सफल /क्वालिफाइड बोलीदाता/संवेदक की न्यूनतम कीमत के आधार पर बिड का मूल्यांकन किया जायेगा।

37 बोलियों का अपवर्जन :— अधिनियम की धारा 25 में उल्लेखित आधार पर बोली को अपवर्जित किया जा सकेगा।

38 ड्राईवर परिवहन विभाग द्वारा जारी उपयुक्त लाईसेंस शुदा होना चाहिये एवं वर्दी में रहना चाहिये। वर्दी बोलीदाता द्वारा ही दी जावेगी। विभाग द्वारा इस हेतु कोई शुल्क देय नहीं होगा।

39 वाहन चालक द्वारा वाहन की लॉगशीट प्रतिदिन संधारित कर सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रमाणित करवाई जावेगी।

40 आवश्यकता पडने पर वाहन चालक को राजपत्रित अवकाश के दिन भी बुलाया जा सकता है। यदि वाहन चालक उपलब्ध नहीं होता तो बोलीदाता को दूसरा वाहन चालक उपलब्ध करवाना होगा। इस हेतु कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी।

41 वाहन के सभी प्रपत्र (बीमा/रजिट्रेशन/प्रदूषण/वाहन चालक का लाईसेंस या अन्य जो वैधानिक रूप से आवश्यक है) वाहन के साथ उपलब्ध होने चाहिये।

42 मण्डल के वाहन में किसी भी प्रकार की टूट—फूट होने या दुर्घटना होने पर सम्बन्धित व्यय बोलीदाता द्वारा वहन किया जायेगा।

43 वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने या चालान होने पर बोलीदाता का ही उत्तरदायित्व होगा एवं मण्डल उसका किसी भी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं देगा।

44 मण्डल को पूर्ण अधिकार होगा कि वह बिना कारण बताए वाहन चालक को हटा सकता है।

45 वाहन चालक द्वारा मण्डल के वाहन का पूर्ण रखरखाव, साफ—सफाई आदि का कार्य प्रतिदिन किया जायेगा।

46 बोली आंमत्रण में अंकित सेवा की आपूर्ति हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति आदेश पत्र दिनांक से अधिकतम 7 दिन में राशि कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में डिमान्ड ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भिवाडी के नाम पर जमा करानी होगी एवं राशि 500 रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम में निर्धारित एस.आर. प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादन करना होगा।

क्षेत्रीय अधिकारी,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
भिवाडी (अलवर)

47 भुगतानः–

(प) सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल दो प्रतियों प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भुगतान किया जायेगा। अनुबंधित बोलीदाता द्वारा प्रत्येक माह का बिल भुगतान हेतु आगामी माह के प्रारम्भ के 03 कार्य दिवस में प्रस्तुत किया जायेगा। विलम्ब से बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान में होने वाले विलम्ब के लिए अनुबंधित बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।

48 परिनिर्धारित क्षति (Liquidated Damages) परिनिर्धारित क्षति के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर उन स्टार के मूल्यो के लिए की जायेगी जिनका बोलीदाता सेवा सप्लाई करने में असफल रहा है।

(क) विहित सुपुर्दगी की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिये –2.50 प्रतिशत

(ख) एक चौथाई अंवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधाी अवधि से अनधिक के लिए – 5.00 प्रतिशत

(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अधिकअवधि के लिए– 7.50 प्रतिशत

(घ) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए–10.00 प्रतिशत

(ड.) विलम्ब की अवधि में आधा दिन से कम भाग को छोड दिया जायेगा

(च) परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।

(छ) यदि बोली दाता किन्ही बाधाओं के कारण संविदा अन्तर्गत सेवा की सप्लाई को पूरा करने के लिये समय में वृद्धि करना चाहता है तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी आदेश दिया है किन्तु वह उसके लिए आवेदन बाधा के गठित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न की सेवा सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारिख के बाद करेगा।

(ज) यदि सेवा की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियंत्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिनिधार्रित क्षति सहित या रहित की जायेगी।

49 बोली के निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार की समस्या/संदेह हो तो क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भिवाडी से सम्पर्क किया जा सकता है।

मै/हम क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भिवाडी द्वारा जारी की गई बोली सूचना ……… दिनांक .... में वर्णित समस्त शर्तो तथा संलग्न पत्रो (जिसके समस्त पृष्ठों पर उनमे उल्लेखित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रमाण मे हमने हस्ताक्षर कर दिये है) में दी गई उक्त बोली सूचना की समस्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है। साथ ही इस बात पर भी सहमति देते है कि मेरे/हमारे द्वारा बिड के साथ संलग्न किये गये समस्त दस्तावेजो की प्रमाणिकता की जॉच मेरे/हमारे द्वारा अपने स्तर पर कर ली गई है। सभी दस्तावेज विधिक/प्रक्रियात्मक एवं मौलिक रूप से सही है। यदि बिड प्रक्रिया या बिड प्रक्रिया के पश्चात् किसी भी स्तर पर उक्त दस्तावेजो की प्रमाणिकता असिद्व होती है तो इसके लिए मै/हम पूर्ण रूपेण उत्तरदायी रहूँगा/रहेगे एवं इसके लिए विभाग किसी भी स्तर पर किसी भी समय बिना नोटिस दिये हमारी बिड/अनुबंध को निरस्त करने/हमारे विरूद्व कानून/विधि सम्मत दण्डात्मक कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगा।

उपरोक्त शर्ते मेरे द्वारा पढ़ ली गई है जो मुझे स्वीकार है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय नाम व पता

क्षेत्रीय अधिकारी,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
भिवाडी (अलवर)

कार्य की शर्ते

1. बोलीदाता को क्षेत्रीय कार्यालय, रा.प्र.नि.मं भिवाडी पर वाहन चालक का कार्य सम्पादन करने हेतु निविदा प्रस्तुत करनी होगी।
2. बोलीदाता को रू 500/– के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र इस कार्यालय में कार्य आदेश मिलने के सात दिवसों मे जमा कराना होगा अन्यथा कार्य आदेश निरस्त कर दिया जायेगा। कार्य प्रतिभूति राशि ठेके की अवधि समाप्त होने पर अनुबंध के सन्तोषजनक निर्वाह की स्थिति मे लिखित प्रार्थना पत्र देने पर शीघ्रताशीघ्र लौटा दी जायेगी। कार्य प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नही होगा यदि संविदा के किन्ही उपबधों एवं शर्तो में उल्लघंन पाया गया तो विभाग को आर्थिक दण्ड (Penalty) लगाने का अधिकार होगा।
3. क्षैत्रीय अधिकारी को अधिकार होगा की अनुबन्ध की अवधि के दौरान कार्य सन्तोषजनक नही पाये जाने की स्थिति मे नोटिस देकर अनुबन्ध का समाप्त कर सकें इस बारे में अनुबन्धता किसी भी हर्जे खर्जे की मांग नही कर सकेगा।
4. बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत निविदा या संलग्न दस्तावेजो मे कोई मिथ्या तथ्य या कोई अन्य त्रुटि पायी जाने पर निविदा को रदद् करने का अधिकार क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, भिवाडी को होगा।
5. राज्य मण्डल इस निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये अस्वीकृत कर सकता है राज्य मण्डल के लिये न्यूनतम दर की निविदा स्वीकार करने की बाध्यता नही होगी।
6. निविदा की दरे मूल निविदा प्रपत्र पर ही प्रस्तुत की जानी आवश्यक है मूल निविदा प्रपत्र के अभाव मे निविदा पर कोई विचार नही किया जावेगा।
7. बोलीदाता को कॉन्ट्रेक्ट लेबर (रेग्यूलेशन एवं एबोलिशन) एक्ट, 1970 के अन्तर्गत पजींकृत होना आवश्यक है। आयकर विभाग ने स्थायी खाता संख्या एवं सर्विस टेक्स रजिस्ट्रेशन संबंन्धी प्रमाण पत्र संलग्न किया जावे।
8. कार्यो के विवरण मे दिये गये कार्यो को करते समय यदि किसी की मृत्यु हो जाती है या कर्मचारी किसी भी रूप मे अपंग हो जाता है या अन्य कोई क्षति होती है या कोई अनहोनी हो तो उसकी समस्त जिम्मदारी एवं इसके मुआवजे आदि के भुगतान का भार ठेकेदार द्वारा ही वहन किया जावेगा। मण्डल किसी भी प्रकार की क्षति/मुआवजे के लिये किसी भी रूप मे उत्तरदायी नही होगा ।
9. कर्मचारी राज्य बीमा, अंशदायी प्रावधायी निधि एवं अन्य कोई नियम जो ठेकेदार पर लागू होते हो तो उन नियमो के अन्तर्गत उनकी पालना करने का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
10. निविदा की शर्तो का उल्लघंन करने पर बिना कोई नोटिस दिये निविदा निरस्त कर जमा कार्य प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।
11. ड्यूटी पर कर्मचारी किसी भी प्रकार का व्यसन लेना, नशा करना, ताश खेलना, अथवा किसी भी प्रकार का अनैतिक आचरण नही करेगा।
12. निविदा की व्यवस्था के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न हो जाने पर क्षैत्रीय अधिकारी, भिवाडी का निर्णय अन्तिम होगा जो बोलीदाता को मान्य होगा।
13. ड्राईवर परिवहन विभाग द्वारा जारी उपयुक्त लाईसेंस शुदा होना चाहिये एवं वर्दी में रहना चाहिये। वर्दी बोलीदाता द्वारा ही दी जावेगी। विभाग द्वारा इस हेतु कोई शुल्क देय नहीं होगा।
14. वाहन चालक द्वारा वाहन की लॉगशीट प्रतिदिन संधारित कर सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रमाणित करवाई जावेगी।
15. आवश्यकता पडने पर वाहन चालक को राजपत्रित अवकाश के दिन भी बुलाया जा सकता है। यदि वाहन चालक उपलब्ध नहीं होता तो बोलीदाता को दूसरा वाहन चालक उपलब्ध करवाना होगा। इस हेतु कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी।
16. वाहन के सभी प्रपत्र (बीमा/रजिट्रेशन/प्रदूषण/वाहन चालक का लाईसेंस या अन्य जो वैधानिक रूप से आवश्यक है) वाहन के साथ उपलब्ध होने चाहिये।

क्षेत्रीय अधिकारी,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
भिवाडी (अलवर)

17. मण्डल के वाहन में किसी भी प्रकार की टूट–फूट होने या दुर्घटना होने पर सम्बन्धित व्यय बोलीदाता द्वारा वहन किया जायेगा।
18. वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने या चालान होने पर बोलीदाता का ही उत्तरदायित्व होगा एवं मण्डल उसका किसी भी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं देगा।
19. मण्डल को पूर्ण अधिकार होगा कि वह बिना कारण बताए वाहन चालक को हटा सकता है।
20. वाहन चालक द्वारा मण्डल के वाहन का पूर्ण रखरखाव, साफ–सफाई आदि का कार्य प्रतिदिन किया जायेगा।
21. सभी विवादों में अन्तिम एवं सर्वमान्य निर्णय संबंधित मण्डल का होगा।
22. निविदा की शर्तो का उल्लंधन करने पर कार्य प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।
23. बोलीदाता फर्म की गत दो वर्ष की आयकर चुकती प्रमाण पत्र/रिटर्न की प्रति संलग्न करें।
24. बोलीदाता फर्म के सम्बन्ध में सम्पूर्ण बायोडाटा मय अनुभव संलग्न करें।
25. बोलीदाता फर्म को प्रत्येक माह जमा कराये गये जीएसटी राशि जमा की रसीद बिलो के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

<u>अन्य महत्वपूर्ण शर्तेः</u>

1. बोलीदाता/संस्था इस कार्य सम्पादन हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले व्यक्ति की सूची मय फोटो तथा योग्यता प्रमाण पत्रो के संलग्न करेगा।
2. बोलीदाता /संस्था द्वारा अपराधिक चरित्र/अपराधिक प्रकृति/न्यायालय द्वारा अपराध सिद्व दोषी सजायाफ्ता व्यक्ति को कार्य पर नही लगाया जावेगा इस हेतु पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी
3. बोलीदाता /संस्था को राज्य मण्डल के अवधाता प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जब भी निर्देश हेतु बुलाया जावेगा तो वह तुरन्त उपस्थित होगा।
4. श्रम एवं अन्य सम्बन्धित कानूनों की पालना करने पर अथवा अनुबन्ध की शर्तो का अल्लघंन करने पर एवं कार्य सन्तोषजनक नही पाये जाने पर बिना नोटिस दिये ठेका समाप्त किया जा सकता है ।
5. बोलीदाता /संस्था नियोजित श्रमिको के सम्बन्ध मे उत्पन्न होने वाली किसी भी सेवा/श्रमिक सम्बन्धी विवाद मे दायित्व ठेकेदार/संस्था को होगा तथा क्षेत्रीय कार्यालय से उनका कोई सम्बन्ध नही होगा । बोलीदाता /संस्था द्वारा नियोजित श्रमिको के सम्बन्ध मे औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के प्रावधानों की पालना हेतु बोलीदाता /संस्था पूर्णतः जिम्मेदार होगा।
6. यदि अनुबंध के सम्बन्धित कार्यो के सम्पादन मे किसी प्रकार की लापरवाही पायी जाती है एवं इसके लिये निविदा भार्तो/कार्यालय में शास्ति (Penalty) का स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है तो ऐसे कार्यो में लापरवाही या किसी प्रकार की शास्ति क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा द्वारा आरोपित की जा सकेगी ।
7. मण्डल द्वारा चुकाये जाने वाली किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति/दंड एवं शास्ति (Compensation and Penalty) की राशि ठेकेदार को देय किसी भी प्रकार के भुगतान अथवा कार्य प्रतिभूति राशि में से वसूल करने का अधिकार मण्डल को होगा।
8. उक्त शर्तो के अतिरिक्त सामान्य वित्तिय एवं लेखा नियमो की शर्ते व नियम भी ठेकेदार/संस्था को स्वीकार्य होगा।
9. इस निविदा के सम्बन्ध मे अथवा इसके तहत निष्पादित किये जाने वाले अनुबन्ध के संबंध मे कोई न्यायिक विवाद किसी भी सक्षम न्यायालय मे उत्पन्न होता है अथवा पूर्व के ठेके का कोई विवाद न्यायालय मे लम्बित हो और माननीय न्यायालय द्वारा यदि कोई दिशा निर्देश पारित किये जाये तो माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना ठेकेदार/संस्था द्वारा सुनिश्चित की जानी होगी चाहे वह प्रकरण में पक्षकार हो अथवा नही हो।
10. यह की मण्डल कार्यालय द्वारा किसी भी परिस्थिति में यदि उक्त परियोजनार्थ कोंई विकल्प प्राप्त कर लिया जाता है तो एक माह के पूर्व नोटिस के बाद संविदा समाप्त की जा सकेगी।
11. इस निविदा के सम्बन्ध मे अथवा इसके तहत निष्पादित किये जाने वाले अनुबन्ध को शर्तो की व्याख्या अथवा अनुबन्ध से सम्बन्धित किसी भी मामले में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इस विवाद पर क्षैत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, भिवाडी का निर्णय अंतिम होगा और ठेकेदार/संस्था को मान्य होगा।

क्षेत्रीय अधिकारी,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
भिवाडी (अलवर)

12. शास्ति (Penalty)

(1) बोलीदाता द्वारा लगातार तीन दिवसो पर कार्य मे लापरवाही करने पर उन दिनों का भुगतान की जाने वाली राशि की दो गुणा राशि शास्ति के रूप मे वसूली जायेगी।

(2) लगातार सात कार्य दिवसो पर लापरवाही करने पर ठेका निरस्त किया जा सकेगा एवं उसकी जोखिम पर कार्य अन्य संस्था से करवाया जावेगा तथा अन्तर की राशि बोलीदाता से वसूल की जावेगी।

13. किसी भी प्रकार के न्यायिक विवाद का क्षैत्राधिकार अलवर होगा।

14. उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त राजस्थान सरकार के नियमानुसार समय–समय पर जारी की जाने वाली अन्य शर्ते मान्य होगी।

15. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने पूर्ण अधिकार क्षैत्रीय अधिकारी को होगा।

दिनांकः–

हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर

नामः मैसर्स..

पताः ....

क्षेत्रीय अधिकारी,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
भिवाड़ी (अलवर)